

1.	योजना का नाम	<b>विशेष योग्यजनों के लिये स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना</b>
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की भाँति शिक्षण-प्रशिक्षण दिलवाना, उनको समाज में समान अवसर प्रदान करना एवं जीवनयापन के लिए उनका पुनर्वास करना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2012-13
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो।
6.	देय सुविधाएं	स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>● राशन कार्ड की छाया प्रति</li> <li>● निःशक्तता प्रमाण-पत्र</li> <li>● आय का शपथ पत्र</li> <li>● विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता दर्शाता हुआ एक-एक फोटो</li> <li>● मूल निवास प्रमाण-पत्र</li> </ul>
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।